UPSR040026682020

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02316

वारण्ट सम्मन्स क्रिमिनल केस/2205/2020

राज्य बनाम. अरविन्द कुमार यादव

दिनांक 18.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादिनी व चुटैल/प्रथम पक्ष **हंशा देवी पत्नी शिवकुमार** मय अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित तथा अभियुक्त/द्वितीय पक्ष **अरविन्द कुमार यादव** मय अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। पक्षकारों की ओर से सुलहनामा के आधार पर प्रा० पत्र अंतर्गत धारा–320 दं०प्र०सं० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पक्षकार अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के सुलह कर लिये हैं। पक्षकार अब मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं वे गीरब ग्रामीण व्यक्ति हैं। अतः सुलहनामा दिनांकित 09.03.2026 के आधार पर मुकदमें को समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सुलहनामा पर पक्षकारों का फोटो चस्पा है तथा प्रथम पक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अंकित शुक्ला, एडवोकेट द्वारा की गयी तथा द्वितीय पक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता श्री हिमांशु मिश्रा, एडवोकेट द्वारा की गयी। सुलहनामा दिनांकित 09.03.2026 को न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामले में वादिनी मुकदमा व अभियुक्तगण एक ही गांव के हैं। वादिनी चुटैल ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है। आरोपित अपराध धारा–323, 504 भा०दं०सं० का है, जो कि समनीय प्रकृति का है तथा धारा–320 दं०प्र०सं० समन मामले में सुलहनामा के आधार पर मामले को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। चूंकि पक्षकारों ने सुलहनामा में स्वयं यह कथन किया है कि अब आपस में कोई विवाद शेष नहीं रह गया है वह मामले को सुलहनामा के आधार पर समाप्त कराना चाहते है। वादिनी मुकदमा के अतिरिक्त अन्य चुटैल नामित नहीं है। ऐसी दशा में सुलहनामा दिनांकित 09.03.2026 स्वीकार किया जाना तथा वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

धारा–320 दं०प्र०सं० के अंतर्गत समनीय मामलों के लिए प्राविधानित विधि के अनुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा दिनांकित 09.03.2026 स्वीकार किया जाता है। सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
श्रावस्ती